

2013 का विधेयक संख्या ४

महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2013

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरस्थापित किया जायेगा)

महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय अधिनियम, 1987 को और संशोधित करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के चौंसठवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता हैः-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इस अधिनियम का नाम महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2013 है।

(2) यह 16 जनवरी, 2013 को और से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

2. 1987 के राजस्थान अधिनियम सं.38 की धारा 19 का संशोधन.- महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय अधिनियम, 1987 (1987 का अधिनियम सं.38), जिसे इसमें आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 19 की विद्यमान उप-धारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"19. कुलपति.- (1) कुलपति विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी होगा और निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनी चयन समिति की सिफारिश पर, राज्य सरकार के परामर्श से, कुलाधिपति द्वारा नियुक्त किया जायेगा -

- (क) बोर्ड द्वारा नामनिर्देशित एक व्यक्ति, जो विश्वविद्यालय या किसी महाविद्यालय से संबंधित न हो;
- (ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्देशित एक व्यक्ति;
- (ग) कुलाधिपति द्वारा नामनिर्देशित एक व्यक्ति; और
- (घ) राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित एक व्यक्ति, और कुलाधिपति इनमें से किसी एक व्यक्ति को समिति का अध्यक्ष नियुक्त करेगा।

(1-क) कुलपति की पदावधि उस तारीख से, जिसको वह अपना पद ग्रहण करता/करती है, तीन वर्ष या सत्तर वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने तक, इनमें से जो भी पहले हो, होगी:

परन्तु वही व्यक्ति दूसरी अवधि के लिए पुनर्नियुक्ति का पात्र होगा/होगी।

(1-ख) कुलपति, ऐसा वेतन और भत्ते प्राप्त करेगा/करेगी जो राज्य सरकार द्वारा अवधारित किये जायें। इसके अतिरिक्त, वह विश्वविद्यालय द्वारा संधारित निःशुल्क सुसज्जित निवास और ऐसी अन्य परिलब्धियों का/की हकदार होगा/होगी जो विहित की जायें।

(1-ग) जब कुलपति के पद की कोई स्थायी रिक्ति उसकी मृत्यु, त्यागपत्र, हटाये जाने या उसकी पदावधि समाप्त हो जाने के कारण हो जाये तो वह कुलाधिपति द्वारा, उप-धारा (1) के अनुसार भरी जायेगी और जब तक वह इस प्रकार नहीं भरी जाती है तब तक उसके द्वारा, उप-धारा (1-घ) के अधीन और अनुसार कामचलाऊ व्यवस्था की जायेगी।

(1-घ) जब कुलपति के पद की कोई अस्थायी रिक्ति उसकी छुट्टी, निलंबन के कारण या अन्यथा हो जाये, या जब उप-धारा (1-ग) के अधीन कोई कामचलाऊ व्यवस्था आवश्यक हो तब कुल-सचिव मामले की रिपोर्ट तुरंत कुलाधिपति को करेगा जो, राज्य सरकार की सलाह से, कुलपति के पद के कृत्यों के निर्वहन के लिए व्यवस्था करेगा।

(1-ङ) कुलपति अपने पद का त्याग, किसी भी समय अपना त्यागपत्र ऐसी तारीख से, जिसको वह पदभार से मुक्त होने का/की इच्छुक हो, कम से कम साठ दिवस पूर्व कुलाधिपति को प्रस्तुत करके, कर सकेगा/सकेगी।

(1-च) ऐसा त्यागपत्र ऐसी तारीख से प्रभावी होगा जो कुलाधिपति द्वारा अवधारित की जाये और जिसकी सूचना कुलपति को दी जाये।

(1-छ) जहां, कुलपति के रूप में नियुक्त कोई व्यक्ति, ऐसी नियुक्ति के पूर्व किसी भी अन्य महाविद्यालय, संस्था या विश्वविद्यालय में नियोजित था/थी, वहां वह उस भविष्य निधि में अंशदान करना जारी रख सकेगा/सकेगी जिसका वह ऐसे नियोजन में सदस्य था/थी और विश्वविद्यालय उस भविष्य निधि में ऐसे व्यक्ति के लेखे में अंशदान करेगा।

(1-ज) जहां कुलपति, उसके पूर्ववर्ती नियोजन में, किसी बीमा या पेंशन स्कीम का सदस्य रहा हो/रही हो, वहां विश्वविद्यालय ऐसी स्कीम में आवश्यक अंशदान करेगा।

(1-झ) कुलपति, ऐसी दरों पर जैसीकि बोर्ड द्वारा नियत की जायें, यात्रा और दैनिक भत्ते का हकदार होगा।

(1-झ) कुलपति, निम्नानुसार छुट्टियों का हकदार होगा:-

(क) प्रत्येक म्यारह दिवस की वास्तविक सेवा के लिए एक दिवस की दर से पूर्ण वेतन पर छुट्टी;

(ख) सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए बीस दिवस की दर से अर्धवैतनिक छुट्टी:

परन्तु चिकित्सा प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने पर अर्धवैतनिक छुट्टी को पूर्ण वैतनिक छुट्टी में रूपान्तरित किया जा सकेगा।"

3. 1987 के राजस्थान अधिनियम सं.38 की धारा 36 का संशोधन.- मूल अधिनियम की विद्यमान धारा 36 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"36. लेखे और संपरीक्षा.- (1) विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखे और तुलनपत्र, कुलपति के निदेश के अधीन, नियंत्रक द्वारा तैयार किये जायेंगे और किसी भी स्रोत से विश्वविद्यालय को प्रोद्धत होने वाली या उसके द्वारा प्राप्त समस्त धनराशियां और संवितरित या संदर्त समस्त रकमों की प्रविष्टि लेखाओं में की जायेगी।

(2) नियंत्रक, ऐसी तारीख से पूर्व जो परिनियमों द्वारा विहित की जाये, आगामी वर्ष के लिए बजट प्राक्कलन तैयार करेगा।

(3) नियंत्रक द्वारा तैयार किये गये वार्षिक लेखे और बजट प्राक्कलन वित्त समिति की टिप्पणियों के साथ बोर्ड के समक्ष अनुमोदन के लिए रखे जायेंगे और बोर्ड इसके संदर्भ में संकल्प पारित कर सकेगा और इसे नियंत्रक को संसूचित कर सकेगा जो तदनुसार कार्रवाई करेगा।

(4) वार्षिक लेखाओं की संपरीक्षा विहित रीति से ऐसे संपरीक्षकों द्वारा की जायेगी जिनका राज्य सरकार निदेश दे और ऐसी संपरीक्षा का व्यय विश्वविद्यालय निधि पर प्रभार होगा।

(5) संपरीक्षित होने पर लेखे मुद्रित किये जायेंगे और उनकी प्रतियां, संपरीक्षा रिपोर्ट सहित, कुलपति द्वारा बोर्ड को प्रस्तुत की जायेंगी जो उन्हें ऐसी टिप्पणियाँ सहित, जो आवश्यक समझी जायें, राज्य सरकार को अग्रेषित करेगा।

(6) विश्वविद्यालय, संपरीक्षा में किये गये आक्षेपों का समाधान करेगा और ऐसे अनुदेशों को कार्यान्वित करेगा जो संपरीक्षा रिपोर्ट पर राज्य सरकार द्वारा जारी किये जायें।"

4. 1987 के राजस्थान अधिनियम सं.38 में नयी धाराओं का अन्तःस्थापन।- मूल अधिनियम की विद्यमान धारा 36 के पश्चात् और विद्यमान धारा 37 के पूर्व, निम्नलिखित नयी धाराएं जोड़ी जायेगी, अर्थात्:-

"36-क. राज्य सरकार का नियंत्रण।- जहां राज्य सरकार की निधियां अन्तर्वलित हैं, वहां विश्वविद्यालय ऐसी निधियों की मंजूरी से संबद्ध निबंधनों और शर्तों का पालन करेगा जिनमें, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित के संबंध में राज्य सरकार की पूर्व अनुज्ञा भी सम्मिलित है, अर्थात्:-

- (क) अध्यापकों, अधिकारियों या अन्य कर्मचारियों के नये पदों का सूजन;
- (ख) अपने अध्यापकों, अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को वेतन, भत्तों, सेवानिवृत्ति-पश्चात् के फायदों और अन्य फायदों का पुनरीक्षण;
- (ग) अपने अध्यापकों, अधिकारियों या अन्य कर्मचारियों में से किसी को किसी अतिरिक्त/विशेष वेतन, भत्ते या किसी भी प्रकार का अन्य अतिरिक्त पारिश्रमिक जिसमें वित्तीय विवक्षाएं रखने वाला अनुग्रहपूर्वक संदाय या अन्य फायदे सम्मिलित हैं, की मंजूरी;
- (घ) किसी भी निश्चित निधि का ऐसे प्रयोजन, जिसके लिए वह प्राप्त की गयी थी, से भिन्न प्रयोजन के लिए अपयोजन;
- (ङ) स्थावर सम्पत्ति का विक्रय, पट्टे, बंधक द्वारा या अन्यथा अन्तरण;

(च) राज्य सरकार से प्राप्त निधियों से, ऐसे प्रयोजनों, जिनके लिए निधियां प्राप्त की गयी हैं, से भिन्न किन्हीं भी प्रयोजनों के लिए किसी भी विकास कार्य पर व्यय उपगत करना; और

(छ) ऐसा कोई भी विनिश्चय करना जिसके परिणामस्वरूप राज्य सरकार के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष वित्तीय दायित्व बढ़ जाये।

स्पष्टीकरण- पूर्वकृत शर्त किसी भी अन्य निधि से सृजित ऐसे पदों के संबंध में भी लागू होंगी जिनसे राज्य सरकार पर दीर्घकाल में वित्तीय विवक्षाएं होने की संभावना है।

36-ख. आपात उपाय के रूप में राज्य सरकार द्वारा वित्तीय नियंत्रण की धारणा- (1) राज्य सरकार को, विश्वविद्यालय के वित्त से संबंधित ऐसे किसी भी मामले में, जहां राज्य सरकार की निधियों का संबंध हो, ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा, जैसाकि वह निदेश दे, जांच करवाने और विश्वविद्यालय को निदेश जारी करने का अधिकार होगा।

(2) यदि राज्य सरकार का यह समाधान हो जाता है कि विश्वविद्यालय में कुप्रशासन या वित्तीय कुप्रबंध के कारण ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गयी है जिससे विश्वविद्यालय की वित्तीय स्थिरता असुरक्षित हो गयी है तो वह, अधिसूचना द्वारा, यह घोषणा कर सकेगी कि विश्वविद्यालय का वित्त राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन होगा और ऐसे अन्य निदेश जारी करेगी जो वह उक्त प्रयोजन के लिए ठीक समझे और वे विश्वविद्यालय पर बाध्यकारी होंगे।"

5. निरसन और व्यावृत्तियां- (1) महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2013 (2013 का अध्यादेश सं.3) इसके द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के अधीन की गयी समस्त बातें, कार्रवाइयां या किये गये आदेश इस अधिनियम द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के अधीन किये गये समझे जायेंगे।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

विश्वविद्यालयों और राज्य सरकार के बीच अच्छा सांमजस्य रहा है किन्तु यदाकदा कुछ ऐसे दृष्टांत रहे हैं जब राज्य सरकार की नीतियों और निदेशों को, जबकि वे प्रशासनिक या वित्तीय मामलों तक सीमित हों, तब भी अनदेखा कर दिया जाता है।

साथ ही, ऐसा कोई भी सामर्थ्यकारी उपबंध नहीं है जिसके माध्यम से विश्वविद्यालयों से राज्य सरकार के सामान्य वित्तीय अनुशासन या प्रशासनिक नीतियों का अनुसरण कराया जा सके। यह भी कि कुलपतियों की नियुक्ति की पद्धति और सेवानिवृत्ति की आयु में अन्तर हैं।

अतः विभिन्न विश्वविद्यालयों के अधिनियमों में एकरूपता बनाये रखने और बेहतर वित्तीय अनुशासन एवं प्रशासनिक वातावरण बनाने के लिए महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय अधिनियम, 1987 की कुछ धाराओं को संशोधित करने का और कुछ नए उपबंध जोड़ने का विनिश्चय किया गया है, अर्थात्, कुलपति की सेवानिवृत्ति की आयु, कुलपति की अन्य सेवा शर्त, लेखे और संपरीक्षा, राज्य सरकार की निधियों पर राज्य सरकार का नियंत्रण और आपात उपाय के रूप में राज्य सरकार द्वारा वित्तीय नियन्त्रण की धारणा।

चूंकि राजस्थान विधान सभा सत्र में नहीं थी और ऐसी परिस्थितियां विद्यमान थीं जिनके कारण राजस्थान के राज्यपाल के लिए तुरन्त कार्रवाई करना आवश्यक हो गया था, इसलिए उन्होंने 16 जनवरी, 2013 को महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2013 (2013 का अध्यादेश सं.3) प्रस्तुति किया जो राजस्थान राजपत्र, असाधारण, भाग 4 (ख) में दिनांक 17 जनवरी, 2013 को प्रकाशित हुआ।

यह विधेयक पूर्वक अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिए ईप्सित है।

अतः विधेयक प्रस्तुत है।

डॉ. दयाराम परमार,
प्रभारी मंत्री।

प्रत्यायोजित विधान संबंधी ज्ञापन

विधेयक के खण्ड 2 और 3, यदि अधिनियमित किये जाते हैं तो, क्रमशः प्रस्तावित धारा 19(1-ख) के अधीन कुलपति की अन्य परिलिंग्धियां, और प्रस्तावित धारा 36 (2) के अधीन ऐसी तारीख जिससे पूर्व, आगामी वर्ष के लिए बजट प्राक्कलन तैयार किये जायेंगे, विहित करने के लिए सशक्त करेंगे।

प्रस्तावित प्रत्यायोजन सामान्य प्रकृति का है और मुख्यतः व्यौरे के विषयों से संबंधित है।

डॉ. दयाराम परमार,
प्रधारी मंत्री।

महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय अधिनियम, 1987
 (1987 का अधिनियम सं.38) से लिये गये उद्धरण

XX XX XX XX XX

19. कुलपति.- (1) कुलपति विश्वविद्यालय का एक पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी होगा, और कुलाधिपति के द्वारा ऐसी रीति से, ऐसी कालावधि के लिए और ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर नियुक्त किया जायेगा जो विहित की जायें।

(2) उप-धारा (1) में किसी बात के होने पर भी विश्वविद्यालय का प्रथम कुलपति कुलाधिपति के द्वारा सरकार के परामर्श से तीन वर्ष से अनधिक की किसी कालावधि के लिए ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर नियुक्त किया जायेगा, जो कुलाधिपति अवधारित करें।

(3) कुलपति विश्वविद्यालय का प्रधान शैक्षणिक, प्रशासनिक और कार्यपालक अधिकारी होगा और विश्वविद्यालय के कार्यकलाप का समग्र पर्यवेक्षण और नियंत्रण करेगा। उसे ऐसी समस्त शक्तियां होंगी जो इस अधिनियम और परिनियमों के उपबंधों के सही-सही अनुपालन के लिए आवश्यक हों।

(4) कुलपति को वहां, जहां तुरन्त कार्रवाई की जानी अपेक्षित हो, ऐसा आदेश करने की शक्ति होगा जिससे ऐसी किसी भी शक्ति का प्रयोग या ऐसे किसी भी कृत्य का पालन हो जिसका प्रयोग या पालन किसी भी प्राधिकरण द्वारा इस अधिनियम या परिनियमों के अधीन किया जाये:

परन्तु ऐसी कार्रवाई की रिपोर्ट ऐसे प्राधिकरण को अनुमोदन के लिए की जायेगी जो उस विषय पर सामान्य अनुक्रम में कार्यवाही करता:

परन्तु यह और कि यदि वह कार्रवाई जिसकी कि इस प्रकार रिपोर्ट की गयी है, प्रबन्ध बोर्ड से इतर ऐसे प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित न की जाये तो वह विषय प्रबन्ध बोर्ड को निर्देशित किया जायेगा जिसका विनिश्चय अंतिम होगा और प्रबन्ध बोर्ड के ही ऐसा प्राधिकरण होने की दशा में वह विषय कुलाधिपति को निर्देशित किया जायेगा जिनका विनिश्चय अन्तिम होगा।

(5) कुलपति इस बात का समाधान हो जाने पर कि किसी भी प्राधिकरण के द्वारा की गयी कोई भी कारवाई या आदेश विश्वविद्यालय के हित में नहीं है या ऐसे प्राधिकरण की शक्तियों के बाहर है, प्राधिकरण से उसकी कारवाई या आदेश का पुनर्विलोकन करने की अपेक्षा कर सकेगा। जहां प्राधिकरण उस तारीख से, जिसको कि कुलपति ने ऐसी अपेक्षा की है, साठ दिन के भीतर-भीतर अपनी कारवाई या आदेश का पुनर्विलोकन करने से इन्कार कर दे या इसमें असफल रहे वहां वह विषय कुलाधिपति को निर्देशित किया जा सकेगा, जिनका उस पर विनिश्चय अंतिम होगा।

XX XX XX XX XX XX

36. लेखे और संपरीक्षा- (1) विश्वविद्यालय के लेखे, जिनमें उसके वार्षिक लेखे सम्मिलित हैं, नियंत्रक के पर्यवेक्षण और निदेश के अधीन तैयार किये जायेंगे।

(2) विश्वविद्यालय को किसी भी स्रोत से प्रोद्भूत होने वाले या प्राप्त हुए सभी धन और संवितरित या सदांत्त सभी रकमें विश्वविद्यालय के लेखों में सम्यक् रूप से और सही-सही तौर पर प्रविष्ट की जायेंगी।

(3) वार्षिक लेखे, जिनमें तुलनपत्र सम्मिलित हैं, ऐसे संपरीक्षक के द्वारा संपरीक्षित किये जायेंगे, जो राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जाये। संपरीक्षा का खर्च विश्वविद्यालय द्वारा संदर्भ किया जायेगा। वार्षिक लेखों और संपरीक्षा प्रतिवेदन की प्रतियां बोर्ड, कुलाधिपति और राज्य सरकार को प्रस्तुत की जायेंगी।

XX XX XX XX XX XX

**THE MAHARSHI DAYANAND SARASWATI UNIVERSITY
(AMENDMENT) BILL, 2013**
(To be Introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

*A
Bill*

further to amend the Maharshi Dayanand Saraswati University Act, 1987.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Sixty-fourth Year of the Republic of India, as follows:-

1. Short title and commencement.- (1) This Act may be called the Maharshi Dayanand Saraswati University (Amendment) Act, 2013.

(2) It shall be deemed to have come into force on and from 16th January, 2013.

2. Amendment of section 19, Rajasthan Act No. 38 of 1987.- For the existing sub-section (1) of section 19 of the Maharshi Dayanand Saraswati University Act, 1987 (Act No. 38 of 1987), hereinafter referred to as the principal Act, the following shall be substituted, namely:-

“19. Vice-Chancellor.- (1) The Vice-Chancellor shall be a whole-time paid officer of the University and shall be appointed by the Chancellor in consultation with the State Government upon the recommendation of a Selection Committee consisting of -

- (a) one person nominated by the Board not connected with the University or any college thereof;
- (b) one person nominated by the Chairman, University Grants Commission;
- (c) one person nominated by the Chancellor; and

(d) one person nominated by the State Government, and the Chancellor shall appoint one of these persons to be the Chairman of the Committee.

(1-A) The term of the office of the Vice-Chancellor shall be three years from the date on which he or she enters upon his or her office or until he or she attains the age of seventy years, whichever is earlier:

Provided that the same person shall be eligible for reappointment for a second term.

(1-B) The Vice-Chancellor shall receive such pay and allowances as may be determined by the State Government. In addition to it, he or she shall be entitled to free furnished residence maintained by the University and such other perquisites as may be prescribed.

(1-C) When a permanent vacancy in the office of the Vice-Chancellor occurs by reason of his or her death, resignation, removal or the expiry of his or her term of office, it shall be filled by the Chancellor in accordance with sub-section (1), and for so long as it is not so filled, stop-gap arrangement shall be made by him or her under and in accordance with sub-section (1-D).

(1-D) When a temporary vacancy in the office of the Vice-Chancellor occurs by reason of leave, suspension or otherwise or when a stop-gap arrangement is necessary under sub-section (1-C), the Registrar shall forthwith report the matter to the Chancellor who shall make, on the advice of the State Government, arrangement for the carrying on of the function of the office of the Vice-Chancellor.

(1-E) The Vice-Chancellor may at any time relinquish office by submitting, not less than sixty days in advance of the date on which he or she wishes to be relieved, his or her resignation to the Chancellor.

(1-F) Such resignation shall take effect from the date determined by the Chancellor and conveyed to the Vice-Chancellor.

(1-G) Where a person appointed as the Vice-Chancellor was in employment before such appointment in any other college, institution or University, he or she may continue to contribute to the provident fund of which he or she was a member in such employment and the University shall contribute to the account of such person in that provident fund.

(1-H) Where the Vice-Chancellor had been in his or her previous employment, a member of any insurance or pension scheme, the University shall make a necessary contribution to such scheme.

(1-I) The Vice-Chancellor shall be entitled to travelling and daily allowance at such rates as may be fixed by the Board.

(1-J) The Vice-Chancellor shall be entitled to leave as under:-

- (a) leave on full pay at the rate of one day for every eleven days of active service; and
- (b) leave on half pay at the rate of twenty days for each completed year of service:

Provided that leave on half pay may be commuted as leave on full pay on production of medical certificate.”.

3. Amendment of section 36, Rajasthan Act No. 38 of 1987.- For the existing section 36 of the principal Act, the following shall be substituted, namely:-

“36. Accounts and audit.- (1) The annual accounts and balance sheet of the University shall be prepared by the Comptroller under the direction of the Vice-Chancellor and all moneys accruing to or received by the University from whatever source and all amount disbursed or paid shall be entered in the accounts.

(2) The Comptroller shall, before such date as may be prescribed by the Statutes, prepare the budget estimates for the ensuing year.

(3) The annual accounts and the budget estimates prepared by the Comptroller shall be placed before the Board together with the remarks of the Finance Committee for approval and the Board may pass resolution with reference thereto and communicate the same to the Comptroller who shall take action in accordance therewith.

(4) The annual accounts shall be audited in the prescribed manner by such auditors as the State Government may direct and the cost of such audit shall be a charge on the University fund.

(5) The accounts when audited shall be printed and copies thereof, together with the audit report, shall be submitted by the Vice-Chancellor to the Board which shall forward them to the State Government with such comments as may be deemed necessary.

(6) The University shall settle objections raised in the audit and carry out such instructions as may be issued by the State Government on the audit report.”.

4. Insertion of new sections, Rajasthan Act No. 38 of 1987.- After the existing section 36 and before the existing section 37 of the principal Act, the following new sections shall be inserted, namely:-

“36-A. Control of the State Government.- Where the State Government funds are involved, the University shall abide by the terms and conditions attached to the sanction of such funds which may *inter alia* include prior permission of the State Government in respect of the following, namely:-

- (a) creation of the new posts of teachers, officers or other employees;
- (b) revision of the pay, allowances, post-retirement benefits and other benefits to its teachers, officers and other employees;
- (c) grant of any additional/special pay, allowance or other extra remuneration of any description

whatsoever, including *ex-gratia* payment or other benefits having financial implications, to any of its teachers, officers or other employees;

- (d) diversion of any earmarked funds other than the purpose for which it was received;
- (e) transfer by sale, lease, mortgage or otherwise of immovable property;
- (f) incur expenditure on any development work from the funds received from the State Government for any purposes other than for which the funds are received; and
- (g) take any decision resulting in increased financial liability, direct or indirect, for the State Government.

Explanation.- The above conditions shall also apply in respect of the posts created from any other fund, which may, in the long term, be likely to cause financial implications to the State Government.

36-B. Assumption of financial control by the State Government as emergency measure.- (1) The State Government shall have the right to cause an inquiry to be made, by such person or persons as it may direct, and to issue directions to the University, in respect of any matter connected with the finances of the University, where State Government funds are concerned.

(2) If the State Government is satisfied that owing to mal-administration or financial mismanagement in the University a situation has arisen whereby financial stability of the University has become insecure, it may, by a notification, declare that the finances of the University shall be subject to the control of the State Government and shall issue such other directions as it may deem fit for the purpose and the same shall be binding on the University.”.

5. Repeal and savings.- (1) The Maharshi Dayanand Saraswati University (Amendment) Ordinance, 2013 (Ordinance No. 3 of 2013) is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, all things done, actions taken or orders made under the principal Act as amended by the aforesaid Ordinance shall be deemed to have been done, taken or made under the principal Act as amended by this Act.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

There has been good harmony between the Universities and the State Government but sometimes there are instances when policies and directions of the State Government are ignored even when they are confined to administrative or financial matter.

Also, there is no enabling provision through which Universities can be made to follow general financial discipline or administrative policies of the State Government. Moreover, there are variations in the method of appointment and retirement age of Vice-Chancellors.

Therefore, in order to maintain some sort of uniformity in various Universities' Acts and also to bring about better financial discipline and administrative atmosphere, it has been decided to amend some sections and to add new provisions i.e. retirement age of Vice-Chancellor, other service conditions of Vice-Chancellor, accounts and audit, control of the State Government regarding State Government funds and assumption of financial control by the State Government as emergency measure in the Maharshi Dayanand Saraswati University Act, 1987.

Since the Rajasthan Legislative Assembly was not in session and circumstances existed which rendered it necessary for the Governor of Rajasthan to take immediate action, she, therefore, promulgated the Maharshi Dayanand Saraswati University (Amendment) Ordinance, 2013 (Ordinance No. 3 of 2013), on 16th January, 2013, which was published in Rajasthan Gazette, Part IV (B), Extraordinary, dated 17th January, 2013.

This Bill seeks to replace the aforesaid Ordinance.

Hence the Bill.

डॉ. दयाराम परमार,
Minister Incharge.

**MEMORANDUM REGARDING DELEGATED
LEGISLATION**

Clauses 2 and 3 of the Bill, if enacted, shall empower to prescribe other perquisites of Vice-Chancellor under the proposed section 19(1-B) and the date before which budget estimates for the ensuing year shall be prepared under the proposed section 36(2) respectively.

The proposed delegation is of normal character and relates to the matters of detail.

डॉ. दयाराम परमार,
Minister Incharge.

**EXTRACTS TAKEN FROM THE MAHARSHI
DAYANAND SARASWATI UNIVERSITY ACT, 1987
(Act No. 38 of 1987)**

XX XX XX XX XX XX

19. Vice-Chancellor.- (1) The Vice-Chancellor shall be a whole-time paid officer of the University and shall be appointed by the Chancellor in such manner for such a period and on such terms and conditions as may be prescribed.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), the first Vice-Chancellor of the University shall be appointed by the Chancellor after consultation with the Government for a period not exceeding three years on such terms and conditions as the Chancellor may determine.

(3) The Vice-Chancellor shall be the principal academic, administrative and executive officer of the University and shall exercise overall supervision and control over the affairs of the University. He shall have all such powers as may be necessary for the observance of the provisions of this Act and Statutes.

(4) The Vice-Chancellor shall, where immediate action is called for, have power to make an order so as to exercise any power or perform any function which is exercised or performed by any Authority under this Act or the Statutes:

Provided that such action shall be reported to the Authority as would have in the ordinary course dealt with the matter for approval:

Provided further that if the action so reported is not approved by such Authority not being the Board of Management, the matter shall be referred to the Board of Management, whose decision shall be final and in case of the Authority being the Board of Management, the matter shall be referred to the Chancellor whose decision shall be final.

(5) The Vice-Chancellor may, on being satisfied that any action taken or order made by any Authority is not in the interest of the University or beyond the powers of such Authority, require

the Authority to review its action or order. In case the Authority refuses or fails to review its action or order within sixty days of the date on which the Vice-Chancellor has so required, the matter may be referred to the Board of Management or to the Chancellor, as the case may be, for final decision.

XX XX XX XX XX XX

36. Accounts and Audit. - (1) The accounts including the annual accounts of the University shall be prepared under the supervision and direction of the Comptroller.

(2) All the moneys accruing to or received by the University from whatever source and all amounts disbursed or paid shall be duly and correctly entered in the accounts of the University.

(3) The annual accounts including the balance sheet shall be audited by the auditor as may be appointed by the State Government. The cost of audit shall be paid by the University. The copies of the annual accounts and the audit report shall be presented to the Board, the Chancellor and the State Government.

XX XX XX XX XX XX

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)
राजस्थान विधान सभा

महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय अधिनियम, 1987 को और
संशोधित करने के लिए विधेयक।

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

प्रकाश चन्द्र पिछोलिया,
विशेषाधिकारी।

(डॉ, दयाराम परमार, प्रभारी मंत्री)

Bill No. 8 of 2013

**THE MAHARSHI DAYANAND SARASWATI UNIVERSITY
(AMENDMENT) BILL, 2013**

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

A

Bill

further to amend the Maharshi Dayanand Saraswati University Act, 1987.

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

PRAKASH CHANDRA PICHHOLIA,
Officer On Special Duty

(Dr. Dayaram Parmar, **Minister-Incharge**)